स्थलना अन्तर्गत मोटर मार्ग

योजना आयोग द्वारा गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण–पत्र

योजना आयोग द्वारा गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियों के अनुरूप कार्य करने हेतु याचक विभाग वंचन बद्ध है।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divisio
Purola (Uttarkashi)

स्थलना म०सा० मोटर मार्ग

भू: वैज्ञानिक की शर्ते/सुझाव मान्य होने का बचनबद्वता प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु भू: वैज्ञानिक द्वारा दी गई शर्ते/ सुझावों के अनुरूप ही याचक विभाग निर्माण कार्य करवाने को वचनवद्व है।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
उत्तरकाशी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 90/1521/07
जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी से स्यॉलना भनसाडी मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जून 2007

जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भनसाडी मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1 निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अन्तर्गत 10.40 कि0मी0 लम्बाई में खरादी से स्यालना भनसाडी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.5.2007 को संबधित सहायक अभियन्ता श्री वी0 के0 विरदी एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री हेम चन्द्र जोशी के साथ निरीक्षण किया गया।

2. प्रधान मन्त्री ग्राम सडक योजना के फेज–6 में खरादी से स्यालना–भनसाडी मोटर मार्ग का 10.40 कि0 मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य प्रस्तावित है। मार्ग निर्माण हेतु सम्बंधित खण्ड द्वारा दो समरेखनो पर सर्वेक्षण कार्य किया गया है। समरेखन संख्या दो में स्थानीय ग्रामीणों की अहसमति को देखते हुये खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन ऋषिकेश–यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग–94 के कि0 मी0 185 में खरादी नामक स्थान से हिल साईड में आरम्भ होता है तथा कि0 मी0 4 में ग्राम भनसाडी होता हुआ 10.40 कि0 मी0 लम्बाई पूर्ण कर स्यालना पहुच कर समाप्त होता है। समरेखन में कुल 14 हेयर पिन बैण्ड दिये गये है। समान्यतः बैण्डस एक दूसरे के ऊपर नही है तथा आठवे व नौवे बैण्ड के मध्य दूरी न्यूनतम हैं जो 200 मी0 दर्शाई गई है। समरेखन अलग–अलग भाग में आरक्षित वन भूमि नाप भूमि तथा सिविल भूमि से होकर गुजरता है। नाप भूमि में पहाडी ढलान सामान्यतः 20^0 से 35^0 के मध्य है। जबकि अन्यत्र चट्टानी भाग में ढलान 35^0 से 65^0 तक प्रतीत होता है। समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाईट तथा शिस्ट चट्टान है तथा स्थान–स्थान पर इनके ऊपर मिट्टी/डेब्री का ओवर बर्डन है। समरेखन 3–4 गदेरों को पार करता है जिन पर आवश्यकतानुसार सेतु/पुलिया के निर्माण की आवश्यकता होगी।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहॉ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहॉ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये। यदि सम्भव हो तो पास–पास स्थित बैड्स के मध्य यथासम्भव दूरी बढाते हुये बैण्ड्स की संख्या को कम करने का प्रयास किया जाये।

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

(ध) समरेखन के समीप स्थित धरो से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटको का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जायें।

(ड) समरेखन में तीव्र पहाडी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(च) जहां मार्ग कटान की ऊचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(छ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। गदेरो में पानी के अधिकतम डिस्चार्ज के आधार पर समुचित पुल/पुलिया का निर्माण कराया जाय।

(ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती हैं।

(ii) तीव्र ढलानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारे भी उत्पन्न हो सकती है, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिग की जाये।

(iii) समरेखन में एक ही हिल फेस पर नियोजित किये गये हेयर पिन बैड्स पास–पास होने की स्थिति में मार्ग की आर्म्स के मध्य दूरी कम रहेगी। तीव्र ढलान पर over burden material होने की स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

5. खरादी से स्यालना भनसाडी मोटर मार्ग हेतु 10.40 कि0 मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लियें उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी

(1) भूमि हस्तातरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्राक 7272/8(1)याता0–उ0/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दियें गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायें।

Photo Copy attested H.Kumar 21.6.07

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0

प्रशासनिक
कार्यालय मुख्य अभि0 स्तर-1
लो0नि0वि0 उत्तरांचल
देहरादून